<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

<u>दिनाँक 02.06.2022</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः—

<u>थाना निघासन पुलिस द्वारा, धोखाधड़ी कर रुपये हड़पने के संबंध में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त मुन्ना को 05 हजार रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 02.06.2022 को थाना निघासन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 16/22 धारा 419/420/506 भादवि में वांछित अभियुक्त मुन्ना पुत्र दिलदार नि0 सोठियाना को 05 हजार रुपये नगद बरामद कर ग्राम तारानगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्या0 भेजा जा रहा है।

दिनांक 08.01.22 को वादी श्री सच्चदानन्द दास उर्फ सुभाशीष सामल पुत्र श्री भाबाग्राही निवासी स्कान मन्दिर, दक्षिण दिल्ली, राज्य दिल्ली की तहरीरी पर सूचना कि वादी से धोखाधड़ी कर रूपये लेने और वादी द्वारा रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना निघासन में मु0अ0सं0 16/22 धारा 419/420/506 भादवि बनाम 1. रिजवान पुत्र जमाल अहमद निवासी खरवहिया कोतवाली निघासन जिला खीरी 2. उत्तम राय पुत्र सुभाष राय निवासी खरवहिया कोतवाली निघासन जिला खीरी व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत कराया था। बाद विवेचना 1. रिजवान पुत्र मंसब अली 2. मंसब उर्फ बौखल पुत्र छोटकन 3. मुन्ना पुत्र दिलदार उर्फ बुग्गे निवासीगण सोठियाना

कोतवाली निघासन खीरी 4. सईद पुत्र महतिया निवासी पठानन पुरवा मजरा पढुआ थाना निघासन खीरी का नाम प्रकाश में आया है, रिजवान, मंसब उर्फ बौखल, उत्तम उपरोक्त को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है।

बरामदगी-

5 हजार रूपये नकद बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 ओम प्रकाश सरोज
2. का0 कृष्ण कुमार
3. का0 ओमकार
4. का0 कौशल कुमार

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर अभियुक्त नबी हसन को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 02.06.2022 को थाना नीमगांव पुलिस द्वारा अभियुक्त नबी हसन पुत्र नजमुल्ल हसन नि0 ग्राम परसेहरा कलां थाना नीमगांव जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर ग्राम खिरिया चौराहा से गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना नीमगांव पर मु0अ0सं0 183/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी-

01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 गौरव सिंह
2. का0 मोनू
3. का0 जतिन

<u>थाना नीमगांव व मैगलगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा, थाना नीमगांव पर गैंगस्टर एक्ट में पंजीकृत अभियोग में वांछित 03 शातिर गोकश अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 02.06.2022 को थाना नीमगांव व मैगलगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना नीमगांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 181/22 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित 03 नफर अभियुक्तों मतीन, सोमीन व बाबू अली को रायपुर घुंसी तिराहा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्या0 भेजा जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-</u>

1. मतीन पुत्र जियाउल्ला खां नि0 ग्राम रायपुर घुंशी थाना नीमगांव जनपद खीरी
2. सोमीन पुत्र जियाउल्ला खां नि0 ग्राम रायपुर घुंशी थाना नीमगांव जनपद खीरी
3. बाबू अली पुत्र मोहर्रम अली न0 ग्राम पिपरा अहिरी थाना नीमगांव जनपद खीरी

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-</u>

<u>मतीन पुत्र जियाउल्ला खां का आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0सं0 187/16 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0
2. मु0अ0सं0 269/18 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अध0
3. मु0अ0सं0 174/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशुक्रूरता अधि0
4. मु0अ0सं0 283/19 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0
5. मु0अ0सं0 261/20 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0
6. मु0अ0सं0 290/20 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0
7. मु0अ0सं0 359/20 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट
8. मु0अ0सं0 361/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
9. मु0अ0सं0 270/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट
10. मु0अ0सं0 18/22 धारा 5/8 गोवध निवारण अधि0

<u>सोमीन पुत्र जियाउल्ला खां का आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0सं0 269/18 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अध0
2. मु0अ0सं0 174/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशुक्रूरता अधि0
3. मु0अ0सं0 226/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
4. मु0अ0सं0 261/20 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0
5. मु0अ0सं0 290/20 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0
6. मु0अ0सं0 359/20 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट
7. मु0अ0सं0 18/22 धारा 5/8 गोवध निवारण अधि0

<u>बाबू अली पुत्र मोहर्म अली का आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0सं0 18/22 धारा 5/8 गोवध निवारण अधि0
2. मु0अ0सं0 283/19 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0
3. मु0अ0सं0 174/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0
4. मु0अ0सं0 359/20 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट

थाना फरधान पुलिस द्वारा, वारंटी अभियुक्त राम गोविन्द पुत्र संदीप गिरी को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 02.06.2022 को थाना फरधान पुलिस द्वारा अ0सं0 157/22 धारा 376/498/504/506 भादवि में वारंटी अभियुक्त राम गोविंद पुत्र संदीप गिरी नि० अम्बूपुर थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्या0 भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का विवरण-

राम गोविंद पुत्र संदीप गिरी नि० अम्बूपुर थाना फरधान जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० देवकरण शर्मा
2. हे० का० विनोद वर्मा
3. का० विक्की सैनी

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **01 वांछित व 03 वारण्टी** अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

1.थाना निघासन पुलिस द्वारा अ0सं0 405/22 धारा 363/366/376 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त अय्यूब पुत्र सबदर अली नि0 लखनियापुरवा थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

2. थाना भीरा पुलिस द्वारा अ0सं0 2535/18 धारा 325/502 भादवि में वारण्टी अभियुक्तगण 1. पुतानी पुत्र छोटेलाल 2. जगतराम पुत्र केवल नि0गण रतना थाना भीरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

3.थाना भीरा पुलिस द्वारा अ0सं0 1199/17 धारा 452/323/504 भादवि में वारण्टी अभियुक्त उम्मेदनलाल पुत्र अज्ञात नि0 रामलहाना थाना भीरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 226 लीटर अवैध शराब व 04 शराब भट्टी बरामद कर 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **226 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **04 शराब भट्टी** बरामद कर **14 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **14 अभियोग** पंजीकृत किए गए।